न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी: नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 106 / 2012 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सरकार जरिये तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.चेलूराम पुत्र रायधनराम जाति मेगवाल निवासी कुछड़ी तहसील जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैसलमेर के प्रकरण संख्या 06 / 2007 बनवान चेलूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.08.2009 के विरूद्ध पेश।

उपस्थिति

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सी आर चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:– 16.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के हक में ग्राम मधाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 549 रकबा 15.13 बीघा व खसरा संख्या 550 रकबा 09.07 बीघा कुल रकबा 25.00 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक आज्ञाप्ति जारी की गई। जबकि यह भूमि सरकारी है। से सैटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अपीलाधीन आराजी पर नियमित बन्दोबस्त में रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण उनके नाम दर्ज नहीं हुई। अपीलाधीन आराजी के संबंध में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि समरी के खसरा संख्या 100 रकबा 25.00 बीघा वर्तमान बन्दोबश्त के खसरा संख्या 549 व 550 रकबा 25.00 बीघा में समाहित हो गया हैं या खसरा संख्या 100 का नियमित बन्दोबश्त में कोई खसरा विशेष बना हो, यह साबित नहीं होता। भू–प्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेंट के समय जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करके अभिलेख तैयार कर अंतिम रूप से पहले आपत्तियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। वादग्रस्त भूमि पर समरी सैटलमेंट अथवा आंवटन के वक्त से कब्जा नहीं हैं न गिरदावरी का ऐसा रेकर्ड पेश हुआ हैं। अतः अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया समरी अंदाजिया थी। अपीलाधीन आराजी के संबंध में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि समरी के खसरा संख्या 100 रकबा 25.00 बीघा वर्तमान बन्दोबश्त के खसरा संख्या 549 व 550 रकबा 25.00 बीघा में समाहित हो गया हैं या खसरा संख्या 100 का नियमित बन्दोबश्त में कोई खसरा विशेष बना हो, यह साबित नहीं होता। वादग्रस्त भूमि पर समरी सैटलमेंट अथवा आंवटन के वक्त से कब्जा नहीं हैं न गिरदावरी का ऐसा रेकर्ड पेश हुआ हैं। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। रेस्पोडेंट का इस वादग्रस्त खसरा की भूमि पर कोई अधिकार नही रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादी का 25 बीघा भूमि का आवंटन होना स्वीकृत तथ्य है। और आवंटित भूमि का राजस्व अभिलेख में गलत तरमीम किया जना तहसीलदार जैसलमेर द्वारा दिये गये वाद के जबाव में स्वीकार किया है। आवंटित भूमि के संबंध में वादी मौके की वस्तु स्थितिअनुसार रिकार्ड दुरस्ती व खसरा संख्या 549 व 550 में रकबा क्रमशः 15.13 बीघा व 09.07 बीघा भूमि दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री की नकले अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट/अप्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से वादी चेलुराम मेगवाल(अनुसूचित जाति) को उसके आवेदन (EXP-1) पर दिनांक 28.08.1970 को कैम्प रामगढ में बाकायदा ग्राम कुछड़ी की राजकीय पड़त में से 25 बीघा बारानी भूमि 10 वर्षो के लिए आंवटित हुई जिसका आवंटन आदेश 2646–48 दिनांक 10.11.1970 (EXP-3) है जिसके मुताबिक ग्राम कुछड़ी के खसरा संख्या 100 में (EXP-4) अनुसार पटवारी खुईयाला द्वारा उसे कब्जा दिया गया। खसरा परिवर्तनशील (EXP-1, EXP-8, EXP-9, EXP-10, EXP-11, EXP-12, EXP-13, EXP-16, EXP-18) संवत 2040, 2041, 2042, 2045, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2054, 2056, 2058 तक ग्राम कुछड़ी एवं तत्पश्चात संवत 2060 से ग्राम मांधलाणियों का गांव के खसरा संख्या 549 व 550 अनुसार वादी का उक्त दो खसरों पर कब्जा काश्त रहा है। खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 58 से खसरा संख्या 511/1369 रकबा 25 बीघा पर वादी का नाम बतौर खातेदारी रूप में प्रविष्टि है जो संवत 2059–62 तक भी रही है। उक्त तथ्यों की पुष्टि वादी चेलुराम द्वारा अपने मौखिक बयानों में की हैं। जिसका समर्थन गवाह साहिबराम ने भी किया है। प्रतिवादी पक्ष के गवाह महेन्द्रकुमार पटवारी के बयानों अनुसार "रेकर्ड में चेलुराम के नाम भूमि नवसृजित ग्राम मांधलाणियों का गांव के खसरा संख्या 511/1369 में तरमीम की गई है जबकि उसका शुरू से कब्जा काश्त खसरा संख्या 549 व 550 में रहा हैं। इन्हीं खसरों में उसके नाम टी.पी. दर्ज रही है। उसको आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्दगी वाली हदूदों में ही मेल खाता है और उसमें उसका कोठा बना हुआ है। पटवारी का यह भी कथन है कि वादी की तरमीम शुदा भूमि का खसरा संख्या 511/1369 नाकाबिल काश्त भूमि है। इस भूमि को उसके हिस्से में देना कतई उचित नहीं लगता और ऐसा करने के पीछे कोई युक्तिसंगत कारण या सक्षम आदेश भी नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आलोक में वादी को आवंटित एवं सुपुर्द भूमि पर ही खातेदारी दी जाकर तरमीम शुद्धि का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जो

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिया गया है; वह विधिसम्मत है इसमें दखल की कोई गुंजाईश नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2007 बनवान चेलूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.08.2009 को यथावत रखा जाता है।

(नखतदान आरहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner